भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1757
जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में लंबित मामले

1757. श्री जी. एम. सिद्धेश्वर :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित दीवानी और फौजदारी प्रकृति के मामलों की कुल संख्या कितनी है ;
(ख) उपरोक्त न्यायालयों में से प्रत्येक न्यायालय में पांच वर्ष से कम, पांच से दस वर्ष के बीच और दस वर्ष से अधिक तक लंबित मामलों की संख्या कितनी है ; और
(ग) क्या सरकार द्वारा इन मामलों के निपटान की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कार्रवाई करने हेतु कोई कदम उठाए गए है ?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की कुल संख्या 70,101 है जिसमें से 55,856 सिविल मामले हैं और 14,245 दांडिक मामले हैं । राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित सिविल और दांडिक मामलों की कुल संख्या **उपाबंध-1** पर दी गई है ।

(ख) : भारत के उच्चतम न्यायालय ने पांच वर्ष से कम, पांच से दस वर्ष के बीच और दस वर्ष से अधिक लंबित मामलों की संख्या नीचे दी गई है:-

लंबन मानदंड	लंबित मामलों की संख्या
5 वर्ष से कम	42819
5 से 10 वर्ष	17571
10 वर्ष से अधिक	9711

उच्च न्यायालयों ने पांच वर्ष से कम, पांच से दस वर्ष के बीच और दस वर्ष से अधिक लंबित मामलों की संख्या **उपाबंध-2** पर दी गई है ।

(ग) : न्यायालयों में लंबित मामलों को निपटारा न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में है । संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए कोई समय सीमा विहित नहीं की गई है । न्यायालयों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं है । न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटारा विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों, सहायक

न्यायालय कर्मचारिवृन्द की पर्याप्त संख्या और भौतिक अवसंरचना, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग जैसे कि बार, अन्वेषण अभिकरण, गवाह और मुवक्किल और नियमों तथा प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग सम्मिलित है । ऐसे कई कारक है जिनसे मामलों के निपटान में विलंब होता हैं । इनमें अन्य बातों के साथ न्यायाधीशों के पदों का रिक्त होना, बारंबार स्थगन और सुनवाई के लिए मामलों की मानीटरी, खोज और एकत्रण की पर्याप्त व्यवस्था का अभाव सम्मिलित है । केंद्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटारे के लिए और लंबित मामलों में कमी करने के लिए पूर्णत: समर्पित है । सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के त्वरित निपटारे के लिए पारिस्थितिक तंत्र उपलब्ध कराने हेतु कई पहलें की हैं ।

न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त, 2011 में न्याय प्रणाली में विलम्ब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जबावदेही बढ़ाकर तथा निष्पादन मानक और क्षमताओं को नियत करके दोहरे उद्देश्यों के साथ किया गया था । मिशन, न्याय प्रशासन में बकाया और लंबन को चरणवार कम करने के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन का विकास भी है ।

विभिन्न पहलों के अधीन पिछले छह वर्षों में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं :-

(i) **जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार करना:** वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आज तक 8758.71 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों की संख्या तारीख 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर तारीख 31.01.2022 तक 21,376 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या तारीख 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर तारीख 31.01.2022 तक 18,276 हो गई है । इसके अतिरिक्त, 2832 न्यायालय हाल और 1,693 आवासीय ईकाइयां निर्माणाधीन हैं । न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीम 9000 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ 2025-26 तक बढ़ा दी गई है, जिसमें से केन्द्रीय हिस्सा 5307 करोड़ रुपये होगा। न्यायालय हालों और आवासीय ईकाइयों के संनिर्माण के अतिरिक्त, इसके अन्तर्गत अधिवक्ता हालों, शौचालय परिसरों और डिजिटल कम्प्यूटर कक्षों का संनिर्माण भी होगा।

(ii) **न्याय के परिदान में सुधार के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना :** सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी समर्थकरण के लिए देशभर में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है । अभी तक कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या बढ़कर 18,735 हो गई है । 98.8 प्रतिशत न्यायालय परिसरों को वॉन संयोजकता प्रदान की गई है । मामले की सूचना साफ्टवेयर का नया और उपयोक्ता अनुकूल संस्करण विकसित करके सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगाया गया है । सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं । तारीख 21.01.2022 को यथाविद्यमान, वादी इन न्यायालयों से संबंधित 19.75 करोड़ मामलों तथा 16.50 करोड़ आदेशों/निर्णयों की

प्रास्थिति जान सकते हैं । ई-न्यायालय सेवाएं जैसे कि मामला रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे, वाद सूची, मामला प्रास्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय ई-न्यायालय वैब पोर्टल, सभी कंप्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केंद्र (जेएससी) के माध्यम से, ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश और पुल सेवा के माध्यम से वादियों और अधिवक्ताओं को उपलब्ध हैं । 3240 न्यायालय परिसरों तथा 1272 तत्स्थानी कारागारों के बीच वीडियो कान्फरेंसिंग सुविधा को समर्थ बनाया गया है । कोविड-19 की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने तथा वर्चुअल सुनवाई में संक्रमण को अधिक आसान बनाने की दृष्टि से, मामले की प्रास्थिति से लेकर निर्णय/आदेशों को प्राप्त करने, न्यायालय/मामले संबंधित सूचना और ई-फाइलिंग सुविधाओं तक सहायता की आवश्यकता वाले अधिवक्ताओं तथा वादियों को सुविधा प्रदान करने के लिए न्यायालय परिसरों में 451 ई-सेवा केन्द्रों का गठन करने के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है । विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग केबिनों में वर्चुअल सुनवाई की सुविधा प्रदान करने के लिए उपकरणों की व्यवस्था करने हेतु 5.01 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं । विभिन्न न्यायालय परिसरों में, ई-फाइलिंग हेतु 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों के लिए 12.12 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं ।

यातायात संबंधी अपराधों के विचारण हेतु 13 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात दिल्ली (2), हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छतीसगढ़, जम्मू-कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश, ओड़िशा, मेघालय और हिमाचल प्रदेश में सत्तरह वर्चुअल न्यायालय गठित किए गए हैं । तारीख 15.01.2022 तक इन न्यायालयों ने 1.2 करोड़ मामले निपटाए तथा 212.01 करोड़ रुपए जुर्माने के रुप में वसूल किए ।

कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, न्यायालयों के सहारे के रूप में उभरा, क्योंकि सामूहिक ढंग से भौतिक सुनवाईयां और सामान्य न्यायालय कार्यवाहियां संभव नहीं थी । कोविड लॉकडाउन आरम्भ होने के समय से 31.11.2021 तक केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग करके जिला न्यायालयों ने 1,08,36,087 मामलों में सुनवाइयां और उच्च न्यायालयों ने 57,39,966 मामलों में सुनवाइयां (कुल 1.65 करोड़) की हैं । उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन अवधि आरम्भ होने के समय से 08.01.2022 तक 1,81,909 सुनवाइयां कीं थी ।

(iii) **उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की रिक्तियों को भरा जाना :** तारीख 01.05.2014 से 31.01.2022 के दौरान उच्चतम न्यायालय में 44 न्यायमूर्ति नियुक्त किए गए थे । उच्च न्यायालयों में 690 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 587 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया था । उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों की स्वीकृत पद संख्या को मई, 2014 में 906 से बढ़ाकर वर्तमान में 1098 किया गया है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या निम्न प्रकार बढ़ाई गई हैं :

तारीख को	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
31.12.2013	19,518	15,115
31.01.2022	24,514	19,341

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में है ।

(iv) **बकाया समितियों के माध्यम से/अनुसरण द्वारा लम्बित मामलों में कमी:** अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, उच्च न्यायालयों में पांच

वर्ष से अधिक लम्बित मामलों के निपटान के लिए बकाया समितियां गठित की गई हैं। बकाया समितियां, जिला न्यायाधीशों के अधीन भी गठित की गई हैं। उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में लम्बित मामलों में कमी के लिए कदम प्रतिपादित के लिए उच्चतम न्यायालय में बकाया समिति गठित की गई है । पूर्व में विधि और न्याय मंत्री द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा मुख्यमंत्रियों को, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों तथा लंबन घटाने के अभियान की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, संसूचित किया गया है । विभाग ने मलिमथ समिति रिपोर्ट के बकाया उन्मूलन स्कीम मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसरण के संबंध में सभी उच्च न्यायालयों द्वारा रिपोर्ट करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है ।

(v) **वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर देना:** वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015, (20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित), वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए आज्ञापक पूर्व-संस्थान मध्यकता क्रियाविधि पर जोर देता है। माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का समय-सीमा विहित करके विवादों के त्वरित निपटान समाधान को शीघ्र बनाने के लिए संशोधन किया गया है।

(vi) **विशेष प्रकार के मामलों के त्वरित निपटान के लिए पहल :** चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए; वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि को अंतर्वलित करने वाले मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना भी सम्मिलित है और राज्य सरकारों से ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% वर्धित कर विचलन के रूप में प्रदान किए गए अतिरिक्त राजवित्तीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है । 31.12.2021 को यथाविद्यमान, जघन्य अपराधों, स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध अपराधों, आदि के लिए 898 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। निर्वाचित सांसदों/विधान सभा सदस्यों को अंर्तवलित करने वाले त्वरित निपटान दांडिक मामलों के लिए नौ (9) राज्यों (मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर-प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक में 1 और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में 2) दस (10) विशेष न्यायालय स्थापित की गए हैं । इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लम्बित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सम्पूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना करने के लिए सरकार ने एक स्कीम का अनुमोदन किया है । आज तक 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 842 एफटीएससी की स्थापना करने के लिए स्कीम में सम्मिलित हुए हैं, जिसके अन्तर्गत 363 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं । इस स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 140 करोड़ रुपए जारी किए गए और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 160.00 करोड़ रुपए जारी किए गए और 31.12.2021 तक वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 62.23 करोड़ रुपए जारी किए गए । वर्तमान में 383 अनन्य पॉक्सो न्यायालयों सहित 700 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं, जिन्होंने 31.12.2021 तक 73,627 मामलों का निपटान किया है । त्वरित निपटान न्यायालय स्कीम को 971.70 करोड़ रुपए के केन्द्रीय अंश सहित कुल 1572.86 करोड़ रुपए की लागत से दो और वर्षों (2021-23) के लिए जारी रखने का अनुमोदन किया गया है ।

(vii) इसके अतिरिक्त, न्यायालयों में लम्बन और अवरोध को कम करने के लिए, सरकार ने विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन)

अधिनियम, 2019 तथा दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को हाल ही में संशोधित किया है ।

****

उपाबंध-1

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में लंबित मामलों से संबंधित अतारांकित प्रश्न संख्या 1757 जिसका उत्तर तारीख 11.02.2022 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

उच्च न्यायालय-वार देश में लंबित मामलों का ब्यौरा-

क्र.सं.	उच्च न्यायालयों का नाम	लंबित मामलें (सिविल)	लंबित मामलें (दांडिक)	31.01.2022 तक उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या
1.	इलाहाबाद	419480	389563	809043
2.	कलकत्ता	190577	35230	225807
3.	गुवाहाटी	45054	10873	55927
4.	तेलंगाना	224611	35921	260532
5.	आंध्र प्रदेश	191311	33148	224459
6.	बॉम्बे	474782	97598	572380
7.	छत्तीसगढ	52537	29839	82376
8.	दिल्ली	74376	27223	101599
9.	गुजरात	101464	50665	152129
10.	हिमाचल प्रदेश	72861	10338	83199
11.	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	41472	6869	48341
12.	झारखंड	42413	44495	86908
13.	कर्नाटक	222775	39522	262297
14.	केरल	169182	42820	212002
15.	मध्य प्रदेश	256719	156748	413467
16.	मणिपुर	4434	508	4942
17.	मेघालय	1396	217	1613
18.	पंजाब और हरियाणा	283842	165047	448889
19.	राजस्थान	426537	152803	579340
20.	सिक्किम	150	34	184
21.	त्रिपुरा	1590	195	1785
22.	उत्तराखंड	24601	17910	42511
23.	मद्रास	520843	58297	579140
24.	ओड़िशा	149444	52285	201729
25.	पटना	113736	110336	224072
कुल		**4106187**	**1568484**	**5674671**

स्रोत :- राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)

<u>उपाबंध-2</u>

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में लंबित मामलों से संबंधित अतारांकित प्रश्न संख्या 1757 जिसका उत्तर तारीख 11.02.2022 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(08.02.2022 तक **)**

क्र.सं.	उच्च न्यायालयों का नाम	5 वर्ष से कम		5 से 10 वर्ष		10 वर्ष से अधिक	
		सिविल	दांडिक	सिविल	दांडिक	सिविल	दांडिक
1	इलाहाबाद	137009	165899	104749	79265	178285	144065
2	बॉम्बे	240518	64006	106816	17558	128744	16484
3	कलकत्ता	64054	14706	47610	9937	79115	10567
4	गुवाहाटी	35994	8202	7657	2423	1397	267
5	तेलंगाना	120840	22122	64123	9517	40732	4274
6	आंध्र प्रदेश	96123	19142	57573	8859	38236	5136
7	छत्तीसगढ	40002	18412	11632	7789	1238	3706
8	दिल्ली	51279	17516	14264	5631	9048	4215
9	गुजरात	65251	31355	24672	10965	11541	8345
10	हिमाचल प्रदेश	60648	7534	9877	2509	2645	409
11	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	22473	4753	13030	1624	5943	512
12	झारखंड	27745	22251	9071	9569	5605	12841
13	कर्नाटक	121230	24551	53170	8213	47866	6639
14	केरल	99370	19705	53812	11691	15917	11369
15	मध्य प्रदेश	120932	70747	73239	44660	62548	41341
16	मणिपुर	3653	435	383	28	413	40
17	मेघालय	1211	214	186	2	0	1
18	पंजाब और हरियाणा	148234	93685	62725	42456	73401	29264
19	राजस्थान	281705	94303	79997	24934	66036	33864
20	सिक्किम	140	34	10	0	1	0
21	त्रिपुरा	1584	188	14	2		
22	उत्तराखंड	18420	13426	4633	3702	1592	893
23	मद्रास	307059	48815	93074	4503	118950	5205
24	ओड़िशा	89501	27523	37094	11037	24243	13187
25	पटना	79159	76380	24653	14010	10366	19603
	कुल	**2234134**	**865904**	**954064**	**330884**	**923862**	**372227**

स्रोत :- राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)

****